न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 24/2023

1 जागीराम पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 माईधन पुत्र लादुराम उम्र 62 साल जाति जाट निवासी गोवला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चिड़ावा मुकदमा उनवानी माईधन बनाम जागीराम मु.नं. 179/2020 निर्णय दिनांक 23.12.2022 अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री संदीप बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * (राजस्थान)

—निर्णय—

दिनांकः— 24.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 179/2020 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 251, 249, 242, 241 वाके ग्राम गोवला तहसील चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 23.12.2022 को जो निर्णय पारित किया है वो गलत है। नजरी नक्शा दिनांक 18.03.2021 के मुताबिक खसरा नम्बर 758/242 जो रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का खेत है जहां से वो मुख्य सड़क से अपने मकान में आना जाना करता है जो मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है उक्त सड़क आगे उत्तर की तरफ जाती है जहां से उक्त सड़क से खसरा नम्बर 716/251 में नजदीक व निकटतम दुरी है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने गलत तथ्यों के आधार पर रास्ते की मांग की है। विचारण न्यायालय के समक्ष माईधन ने अपने घर से खेत में जाने के लिये रास्ते की मांग की है धारा 251 ए में घर के रास्ते के लिये रास्ता दिये जाने की व्यवस्था नहीं है खसरा नम्बर 713/242 माईधन का खेत है जबकि उक्त माईधन रास्ते की मांग खसरा नम्बर 714/242 में से कर रहा है। जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरित है स्वयं का खेत लगते हुये दुसरे व्यक्ति के खेत में से रास्ते की मांग कर रहे है। खसरा नम्बर 758/242 माईधन का खेत है जिसके आम सड़क लगती है जिसकी सीमा पर माईधन के पुख्ता मकानात बने हुये है जिसमें

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

मुख्य सड़क तक रास्ता स्थित है तथा उक्त मुख्य सड़क जहां खसरा नम्बर 253 आबादी में जाकर मिलती है वहां से 770/248 रास्ता स्थित है जहां से खसरा नम्बर 248 का खातेदार जाता है वहां से सबसे निकटतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 716/251 में जाने का है रेस्पोडेन्ट 1 के वैकल्पिक रास्ता लगता है इसलिये रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलार्थी के खेतों में से रास्ते की मांग गलत रूप से कर रहा है। अपीलार्थी खसरा नम्बर 251, 249 व 714/242 को एक साथ मिलाकर काश्त करता है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 जहां से रास्ते की मांग कर रहा है उससे अपीलार्थी के खेत के दो टुकड़े हो जाते है तथा रास्ते के तारबन्दी करने से काश्त की सुविधा खत्म हो जाती है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खेत में जाने के लिये खसरा नम्बर 246, 243, 247 की मे डमें से होते हुये मुख्य सड़क तक नजरी नक्शा में मुताबिक निकटतम दूरी का रास्ता है इसलिये भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपीलार्थी से रास्ता लेने का अधिकारी नहीं है। जब भूमियों का विभाजन हुआ तक खसरा नम्बर 716/251 के लिये रास्ते की व्यवस्था इसलिये नहीं की क्योंकि उसके वैकल्पिक रास्ता लगता है तथा निकटतम दुरी का भी अन्य रास्ते है जहां वैकल्पिक रास्ता लगता है वहां धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अपने रिहायशी मकान के दोनों तरफ रास्ते की मांग कर रहा है जो की गलत है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुविधा के लिये अपीलार्थी के खेत में से रास्ते की मांग कर रहा है जो कि गलत है जहां वैकल्पिक रास्ता मौजुद है तथा निकटतम दूरी के अन्य रास्ते मौजुद है वहां धारा 251 के तहत रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 712/242 में बिन्दु ए से बीत क 5 मीटर लम्बाई 4 मीटर चौड़ाई खसरा नम्बर 714/242 में सी से डी तक 5 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई तथा खसरा नम्बर 249 में ई से एफ तक लम्बाई 80 मीटर चौड़ाई 4 मीटर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

चौड़ाई तथा खसरा नम्बर 251 में एफ से जी तक लम्बाई 36 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। इस प्रकार खसरा नम्बर 712/242 से 20 मीटर 714/242 में 20 मीटर, खसरा नम्बर 249 में 320 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 251 में 144 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जायेगी रास्ते हेतु कुल भूमि 504 वर्गमीटर है। खसरा नम्बर 242, 249, 251 आदि पहले से वादी व प्रतिवादी के शामलाती खाते में दर्ज थी परन्तु खाता विभाजन के समय रास्ते का कथन रिकोर्ड में दर्ज नहीं किया वादी व अनावेदक दोनों सगे भाई होने पर पत्रावली में यही निकटतम रास्ता होना तय अन्य रास्ता से प्रार्थी अपने अन्य खेत में जाने हेतु दूरी की लम्बाई अधिक होने पर सबसे निकटतम रास्ता ए–बी व सी–डी व ई से एफ, एफ से जी ही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर बाद सुनवाई लघुत्तम रास्ता विचाराधीन निर्णय से पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022(1) पेज 196, आरआरटी 2022(1) पेज 558, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 1615 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 712/242 में बिन्दु ए से बीत क 5 मीटर लम्बाई 4 मीटर चौड़ाई खसरा नम्बर 714/242 में सी से डी तक 5 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई तथा खसरा नम्बर 249 में ई से एफ तक लम्बाई 80 मीटर चौड़ाई 4 मीटर चौड़ाई तथा खसरा नम्बर 251 में एफ से जी तक लम्बाई 36 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। इस प्रकार खसरा नम्बर 712/242 से 20 मीटर 714/242 में 20 मीटर, खसरा नम्बर 249 में 320 वर्गमीटर तथा खसरा नम्बर 251 में 144 वर्गमीटर भूमि रास्ते में जायेगी रास्ते हेतु कुल भूमि 504 वर्गमीटर है। खसरा नम्बर 242, 249, 251 आदि पहले से वादी व प्रतिवादी के शामलाती खाते में दर्ज थी परन्तु खाता विभाजन के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समय रास्ते का कथन रिकोर्ड में दर्ज नहीं किया वादी व अनावेदक दोनों सगे भाई होने पर पत्रावली में यही निकटतम रास्ता होना तय अन्य रास्ता से प्रार्थी अपने अन्य खेत में जाने हेतु दूरी की लम्बाई अधिक होने पर सबसे निकटतम रास्ता ए–बी व सी–डी व ई से एफ, एफ से जी ही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई लघुत्तम रास्ता विचाराधीन निर्णय से पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर